कार्यालय, जिला परिषद, नवादा।

अल्पकालिन आम सूचना।

सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि जिला परिषद, नवादा के निम्नांकित बस/वाहन पड़ाव तथा बाजार एवं सैरात तालिका दो में वर्णित क्रमांक 01 से 03 तक की सैरातों की बन्दोवस्ती तेरह माह के लिए एवं क्रमांक 04 से 07 तक की सैरातों की बन्दोवस्ती बारह माह (वित्तीय वर्ष–2020–21) की अवधि के लिए दैनिक चूंगी वसूली हेतु उप विकास आयुक्त–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा द्वारा निम्न तालिका एक में वर्णित तिथियों एवं स्थान पर खुली डाक से बन्दोवस्ती की जायेगी। किसी भी तिथि में यदि तीन डाकवक्ता उपस्थित हो जाते हैं तो डाक की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।

तालिका–01

क0	तिथि	स्थान
1	2	3
1	24.02.2020 25.02.2020 26.02.2020	समाहारणालय स्थित विकास भवन का सभागार कक्ष

बन्दोवस्ती के नियम एवं शर्तो की जानकारी के लिए जिला की वेवसाइट **www.nawada.bih.nic.in** पर अवलोकन किया जा सकता है। साथ ही जिला परिषद कार्यालय से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक डाकवक्ता उपर्युक्त तालिका–01 में वर्णित तिथियों को निम्नतालिका संख्या–02 में वर्णित सभी सैरातों के लिए खुली डाक में भाग ले सकते हैं।

तालिका–02

क0	बस एवं टैक्सी पड़ाव/दैनिक बाजार की चुंगी का नाम	अग्रधन की राशि 10%	सुरक्षित जमा राशि	बन्दोवस्ती की अवधि	कार्यालय पत्रांक से निर्धारित सुरक्षित जमा
1	2	3	4	5	6
1	बस पड़ाव बुधौल, खाता नं0 252, खेसरा नं0 1101 रक्वा 4 एकड	7,61,180	7611793	01.03.2020 से 31.03.2021 तक	सामान्य बैठक कार्यवाही ज्ञापांक 31 दिनांक 15.01.2020
2	बस पड़ाव सं0–3 नवादा, खाता नं0 236, खेसरा नं0 504 रक्वा 0.05 एकड़	10,35,661	10356613	01.03.2020 से 31.03.2021 तक	तथैव
3	बस पड़ाव धमौल, खाता नं0 501, खेसरा नं0 442 रक्वा 0.05 एकड	1,39,783	1397825	01.03.2020 से 31.03.2021 तक	तथैव
4	बस पड़ाव सिरदला, खाता नं0 656, खेसरा नं0 3090 रक्वा 0.34 एकड	2,03,320	20,33,200	01.04.2020 से 31.03.2021 तक	आदेश ज्ञापांक 45 दिनांक 22.02.2019
5	बस पड़ाव रजौली, खाता नं0 29, खेसरा नं0 72 रक्वा 1.52 एकड	15,52,615	1,55,26,150	01.04.2020 से 31.03.2021 तक	तथैव
6	दैनिक चुंगी वसूली बाजार रजौली, खाता नं0 255 खेसरा नं0 246, 223, 324, किस्म सड़क जिला परिषद सड़क के दोनों किनारे	1,96,305	19,63,050	01.04.2020 से 31.03.2021 तक	तथैव
7	दैनिक चुंगी वसूली बाजार पकरीबरावाँ खाता नं0 2614 खेसरा नं0 12803,12091,12092 ,13086,10599,10600 किस्म सड़क जिला परिषद सड़क के दोनों किनारे	24,381	2,43,813	01.04.2020 से 31.03.2021 तक	तथैव

सामान्य शर्ते :–

(1) डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति के लिए निर्धारित अग्रधन की राशि रोकड़पाल, जिला परिषद, नवादा के पास (मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा के पदनाम से) डी0डी0 जमा करना अनिवार्य होगा तथा मूल रसीद के साथ ही भाग ले सकते है।

(2) बन्दोवस्तधारी को बस पड़ाव एवं बाजार में दैनिक चूंगी की वसूली जिला परिषद द्वारा निर्धारित दर के आधार पर करना होगा।

(3) डाकवक्ता को डाक बोलने के पूर्व संबंधित जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन आवासीय, चरित्र प्रमाण पत्र एवं फोटो युक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड एवं पैन कार्ड) जिला परिषद कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(4) जिस डाकवक्ता के पास पूर्व से डाक की बकाया राशि लंबित होगी। उन्हें डाक में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

(5) डाकवक्ता को जिला परिषद कार्यालय नवादा का पूर्व से बकाया राशि एवं काली सूची में नाम दर्ज नहीं रहने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।

(6) उच्चतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को बन्दोवस्ती की आधी राशि एवं बन्दोवस्ती राशि का 06%(प्रतिशत) स्टाम्प शुल्क एवं 02%(प्रतिशत) निबन्धन शुल्क यानि कुल 8%(प्रतिशत) सहित कुल राशि दुसरे दिन डी0डी0 (मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा के पद नाम से) के माध्यम से जमा करनी होगी। जमा नहीं करने की स्थिति में क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय डाक वक्ता से **Negotiate** किया जायेगा।

बन्दोवस्ती के शेष बची आधी राशि दो बराबर किस्तों में दिनांक–30.06.2020 एवं 30.09.2020 को डी0डी0 (मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा के पद नाम से) के माध्यम से बन्दोवस्तधारक को जमा करना होगा। जमा नहीं किये जाने की स्थिति में बन्दोवस्ती राशि की वसूली हेतु निलाम पत्र वाद एवं अन्य कार्रवाई की जायेगी।

(7) बन्दोवस्ती को पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा के पास सुरक्षित होगा।

31/1/2020
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, नवादा।
31/01/2020

31/1/2020
अध्यक्ष,
जिला परिषद, नवादा।

ज्ञापांक –.....52 /जि0परि0 नवादा दिनांक –01/02/2020

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
2. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं दो अग्रणी दैनिक समाचार पत्र यथा हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
3. उप महालेखाकार (वित्त एवं अंकेक्षण) महालेखाकार का कार्यालय बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
4. आयुक्त मगध प्रमण्डल, गया को सादर सूचनार्थ समर्पित।
5. जिला पदाधिकारी, नवादा, नवादा को सादर सूचनार्थ समर्पित।
6. पुलिस अधीक्षक, नवादा को सादर सूचनार्थ समर्पित।
7. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ प्रेषित, अनुरोध है कि जिला परिषद, नवादा के नियम एवं शर्तो को जिले के वेवसाईट **www.nawada.bih.nic.in** पर प्रकाशित किया जाय।
8. अनुमण्डल पदाधिकारी, नवादा/रजौली, जिला अभियंता, जिला परिषद, नवादा/जिला जनसम्पर्क पदा0, नवादा/कार्यपालक पदा0, नगर परिषद, नवादा/सभी प्रखण्ड विकास पदा0/सभी अंचलाधिकारी, जिला –नवादा को सूचनार्थ एवं जानकारी हेतु कार्यालय के नोटिश बोर्ड पर प्रदर्शन हेतु प्रेषित।

31/1/2020
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, नवादा।
31/01/2020

31/1/2020
अध्यक्ष,
जिला परिषद, नवादा।

कार्यालय जिला परिषद्, नवादा।

जिला परिषद्, नवादा द्वारा बस एवं टैक्सी पड़ावों/दैनिक चुंगी वसूली बाजार की बन्दोवस्ती के नियम एवं शर्त्त

(1) जिला परिषद्, नवादा द्वारा संचालित बस एवं टैक्सी पड़ावों/दैनिक चुंगी वसूली बाजार की बन्दोवस्ती खुले डाक द्वारा की जायेगी।

(2) डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि के पूर्व अग्रधन की राशि रोकड़पाल, जिला परिषद्, नवादा के पास (मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा के पदनाम से) डी०डी० जमा कर मूल्य रसीद प्राप्त करने के पश्चात ही डाक में भाग ले सकते है।

(3) उच्चतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को बन्दोवस्ती की आधी राशि एवं बन्दोवस्ती राशि का 06%(प्रतिशत) स्टाम्प शुल्क एवं 02%(प्रतिशत) निबन्धन शुल्क यानि कुल 8%(प्रतिशत) सहित कुल राशि दुसरे दिन डी०डी० (मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा के पद नाम से) के माध्यम से जमा करनी होगी। जमा नहीं करने की स्थिति में क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय डाक वक्ता से **Negotiate** किया जायेगा।

बन्दोवस्ती के शेष बची आधी राशि दो बराबर किस्तों में दिनांक–30.06.2020 एवं 30.09.2020 को डी०डी० (मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा के पद नाम से) के माध्यम से बन्दोवस्तधारक को जमा करना होगा। जमा नहीं किये जाने की स्थिति में बन्दोवस्ती राशि की वसूली हेतु निलाम पत्र वाद एवं अन्य कार्रवाई की जायेगी।

(4) अत्याधिक स्पर्धा होने पर जैसे–जैसे डाक की राशि बढ़ेगी वैसे–वैसे अनुपातिक राशि जमा करने के पश्चात ही डाकवक्ता आगे बोली बोल सकेंगें।

(5) किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था, प्राकृति आपदा, वाहन हड़ताल तथा अन्य स्थानीय कारणों से हानि की स्थिति में बन्दोवस्ती की राशि में किसी तरह की छूट अथवा क्षतिपूर्ति करने का दायित्व जिला परिषद् पर नहीं होगी।

(6) जिला परिषद् का पूर्व बकायादार डाक में भाग नहीं ले सकेंगें। पूर्व बकायेदार डाक प्रारम्भ होने के पूर्व बकाया राशि जमा कर प्राप्ति रसीद के साथ डाक में भाग ले सकेंगें।

(7) उच्चतम डाक की पूरी राशि निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करने पर अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी एवं आवेदकों के साथ क्रमानुसार यह प्रक्रिया लागु रहेगी। तथा द्वितीय वक्ता/तृतीय वक्ता के साथ बन्दोवस्ती की कार्रवाई की जायेगी।

(8) नियम एवं शर्त्त के तहत बस एवं टैक्सी पड़ावों/दैनिक चुंगी वसूली बाजार की बन्दोवस्ती तथा एकरारनामा करने के बाद अन्य आवेदक का अग्रधन वापस कर दिया जायेगा।

(9) एकरारनामा/निबन्धन का खर्च बन्दोवस्तधारी को स्वयं वहन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर बन्दोवस्ती मान्य नहीं होगी एवं उच्चतम दूसरे डाकवक्ता के साथ बन्दोवस्ती कर दी जायेगी।

(10) निर्धारित चुंगी के अतिरिक्त राशि वसूली किये जाने पर 5000/– (पाँच हजार) रूपये दंड के रूप में वसूलनीय होगी एवं डाकवक्ता का नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।

(11) बस एवं टैक्सी पड़ावों/दैनिक चुंगी वसूली बाजार की बन्दोवस्ती वित्तीय वर्ष 2020–21 की अवधि यानि बस एवं टैक्सी पड़ाव बुधौल, बस एवं टैक्सी पड़ाव संख्या 03 नवादा एवं बस एवं टैक्सी पड़ाव धमौल की बन्दोवस्ती दिनांक **01.03.2020** से **31.03.2021** तक कुल तेरह माह के लिए एवं अन्य सैरातों की बन्दोवस्ती दिनांक **01.04.2020** से **31.03.2021** तक बारह माह के लिए की जा रही है।

(12) बिना कारण बताये बस एवं टैक्सी पड़ावों/दैनिक चुंगी वसूली बाजार की बन्दोवस्ती स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा के पास सुरक्षित होगा।

(13) बस एवं टैक्सी पड़ावों/दैनिक चुंगी वसूली बाजार की सफाई एवं विधि व्यवस्था बन्दोवस्तधारी को स्वयं करना होगा।

(14) अपराधिक चरित्र एवं काली सूची में नाम दर्ज रहने वाले व्यक्ति के साथ बस एवं टैक्सी पड़ावों/दैनिक चुंगी वसूली बाजार की बन्दोवस्ती नहीं की जायेगी।

(15) उच्चतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को बन्दोवस्ती की आधी राशि एवं बन्दोवस्ती राशि का 06%(प्रतिशत) स्टाम्प शुल्क एवं 02%(प्रतिशत) निबन्धन शुल्क यानि कुल 8%(प्रतिशत) सहित कुल राशि दुसरे दिन डी०डी० (मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा के पद नाम से) के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। अग्रधन के रूप में जमा की गई राशि का समायोजन अंतिम में किया जायेगा।

(16) इच्छुक व्यक्ति नियम एवं शर्त की जानकारी मो0 500/–रूपये नगद जमा कर जिला परिषद कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

(17) यदि सफल डाकवक्ता डाक के समय बोली गयी उच्चतम डाक की राशि की आधी राशि एवं बन्दोवस्ती राशि का 06%(प्रतिशत) स्टाम्प शुल्क एवं 02%(प्रतिशत) निबन्धन शुल्क यानि कुल 8% (प्रतिशत) सहित कुल राशि दुसरे दिन डी0डी0 (मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा के पद नाम से) के माध्यम से जमा करने में असफल होंगे तो उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन राशि को जब्त कर ली जाएगी एवं द्वितीय अधिकतम डाकवक्ता के साथ सैरात की बन्दोवस्ती पर विचार किया जा सकता है।

(18) दिनांक 29.11.2019 को सम्पन्न वित्त अंकेक्षण तथा योजना समिति, जिला परिषद, नवादा की कार्यवाही ज्ञापांक 438/जि0परि0 दिनांक 30.11.2019 के प्रस्ताव सं0 05 में सर्वसम्मति से बस एवं टैक्सी पड़ाव दैनिक चुंगी वसूली बाजार में चुंगी वसूली दर वृद्धि की गई है, चुंगी वसूली दर निम्नवत है:—

बस एवं टैक्सी पड़ाव बुधौल एवं बस पड़ाव सं0 3 नवादा की चुंगी वसूली दर

1	बस	150/— प्रतिदिन
2	मिनी बस	90/— प्रतिदिन
3	टाटा मैक्सी	80/— प्रतिदिन
4	जीप	45/— प्रतिदिन
5	टेम्पो	15/— प्रतिदिन

बस एवं टैक्सी पड़ाव रजौली/सिरदला/धमौल की चुंगी वसूली दर

1	बस	70/— प्रतिदिन
2	मिनी बस	65/— प्रतिदिन
3	टाटा मैक्सी	40/— प्रतिदिन
4	जीप	26/— प्रतिदिन
5	टेम्पो	15/— प्रतिदिन

दैनिक चुंगी वसूली बाजार रजौली एवं पकरीबरावाँ

1	ठेला	7/— प्रतिदिन
2	सब्जी बिक्रेता	13/— प्रतिदिन
3	फुटपाथ बिक्रेता	7/— प्रतिदिन
4	फूल बिक्रेता	7/— प्रतिदिन
5	मछली बिक्रेता	13/— प्रतिदिन
6	झुग्गी झोपड़ी	7/— प्रतिदिन
7	गुमटी	13/— प्रतिदिन

Vaibhav 31/1/2020

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, नवादा।

अध्यक्ष,
जिला परिषद, नवादा।

ज्ञापांक —......51...... /जि0परि0 नवादा दिनांक —01-02-2020

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. जिला पदाधिकारी, नवादा को सादर सूचनार्थ समर्पित।
2. पुलिस अधीक्षक, नवादा को सादर सूचनार्थ समर्पित।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी नवादा को सूचनार्थ प्रेषित, अनुरोध है कि जिला परिषद, नवादा के नियम एवं शर्तो को जिले के वेवसाईट **www.nawada.bih.nic.in** पर प्रकाशित किया जाय।
4. अनुमण्डल पदाधिकारी, नवादा/रजौली, जिला अभियंता, जिला परिषद, नवादा/जिला जनसम्पर्क पदा0, नवादा/कार्यपालक पदा0, नगर परिषद, नवादा/सभी प्रखण्ड विकास पदा0/सभी अंचलाधिकारी, जिला —नवादा को सूचनार्थ एवं जानकारी हेतु कार्यालय के नोटिश बोर्ड पर प्रदर्शन हेतु प्रेषित।

Vaibhav 31/1/2020

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, नवादा।

31/1/2020

अध्यक्ष,
जिला परिषद, नवादा।

Chungi Dar